न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 2/16 (RCMS No.2016/00048) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. राजसिंह पुत्र अतर सिंह
2. विष्णु सिंह पुत्र अतर सिंह

जाति जाट निवासी ग्राम महलोनी तहसील बयाना हाल निवासी पक्का बाग भरतपुर जरिये मुख्त्याआम कर्नल श्याम सिंह पुत्र अतर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम महलौनी तहसील बयाना हाल निवासी पक्का बाग तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर बयाना जिला भरतपुर दिनांक 24.11.15

उपस्थितिः—

1. श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी वकील अपीलान्ट
2. श्री उदयवीर कसाना राजकीय अभिभाषक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांकः—30.08.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर के निर्णय दिनांक 24.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया था कि विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 576 रकवा 10 विस्वा जिसका हाल ख0 नं0 919 रकवा 08 एयर वॉके ग्राम महलौनी तहसील बयाना में है जिसकी पैमाइश दक्षिण 8 गट्ठा, उत्तर 6 गट्ठा, पूर्व 28 गट्ठा एवं पश्चिम 27 गट्ठा है। उक्त खसरा नम्बर की मौके पर इसी प्रकार डौल मैड मौके पर बनी हुई है जिस पर अपीलान्ट काबिज है। सैटिलमेन्ट ने उक्त खसरा नम्बर की नाप व पैमाइश को कम करते हुऐ दक्षिण दिशा की सीमा 5 गट्ठा पश्चिम की 23 गट्ठा पर्वू की 24 गठ्ठा गलत रूप से दर्शाते हुऐ उक्त खसरा नं0 का क्षेत्रफल कम दर्शाया है जो जमाबन्दी में दर्शाये 8 एयर के मुताविक पूर्ण क्षेत्रफल नही बैठता है। रिकार्ड आफ राईट के

विपरीत गलत नक्शा किश्तवार तैयार किया है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। अतः विवादित आराजी ख0 नं0 919 रकवा 8 एयर वांके ग्राम महलौनी तहसील बयाना से संबंधित नक्शा ट्रैस किश्तवार जो सैटिलमेन्ट ने तैयार किया है, का शुद्धीकरण करते हुऐ जमाबन्दी खातेदारी में दर्ज 8 एयर रकवा के अनुसार ही पुराने नक्शा किश्तवार साबिक ख0 नं0 576 रकवा 10 विस्वा में दर्शायी गयी नाप व पैमाइश के अनुसार ही दुरूस्त किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 19.05.15 के अनुसार साबिक हाल नक्शे की बरारी करने पर साबिक व हाल रकवे में कोई अन्तर नही होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट के खसरा नम्बर 576 रकवा 10 विस्वा के नक्शा किश्तवार के अन्तर्गत दक्षिण दिशा में 8 गट्ठा, उत्तर दिशा में 6 गट्ठा, पूरव दिशा में 28 गठ्ठा व पश्चिम दिशा में 27 गट्ठा रकवा है लेकिन बन्दोवस्त कर्मचारियों ने अपीलान्ट के खाते में 10 विस्वा रकवे के स्थान पर 8 एयर रकवा रिकार्ड आफ राईट में तो दिया है। लेकिन 8 एयर रकवे का क्षेत्रफल 2.48 रकवा हाल के नक्शे किश्तवार में कम दिया है। मौके पर 8 एयर रकवा नही बैठता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र की विधिवत जॉच नही की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 19.05.15 को आधार बनाया है जबकि तहसीलदार बयाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 19.05.15 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हाल ख0 नं0 919 का रकवा 5.52 एयर बैठता है जो 8 एयर रकवे के मुकाबले 2.48 एयर मौके पर कम है। इससे यह स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा मौके की जो मौका रिपोर्ट बनाई गई है उसका निश्चित बिन्दु का आधार कहॉ है, यह तथ्य रिपोर्ट में स्पष्ट नही है। इस संबंध में अपीलान्ट ने पुनः मौके की पैमाईश के लिये आवेदन दिया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया और प्रकरण का गम्भीरता से परीक्षण न कर सरसरी तरीके से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अपीलाधीन आदेश के द्वारा खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि सैटिलमेन्ट विभाग को पूर्व में राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे इन्द्राज व क्षेत्रफल को रिपीट करना चाहिये। इसी के अनुरूप मौके का नक्शा बनाना चाहिये। लेकिन सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा अपीलान्ट के ख0 नं0 के क्षेत्रफल को बिना किसी आदेश के सैटिलमेन्ट फाईनल होते समय कम किया है। उसे पूर्ण करने का अधिकार धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय का था। लेकिन अपने क्षेत्राधिकार को अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत् रूप से सम्पादित नही किया है। अपने पक्ष के समर्थन में 2001 आरआरटी(1) 244, 2012 आरआरटी (2) 814, 2013 आरआरटी (1) 391 एवं 2016 आरआरडी 102 उदृत की। उनका तर्क है कि पटवारी हल्का काचैरा के मेड़ा से दगरे की तरफ पैमाइश करता तो अपीलान्ट के खातेदारी का रकवा 8 एयर का क्षेत्रफल मौके पर निकल कर आता और इसी तथ्य के आधार पर अपीलान्ट ने तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट दिनांक 19.05.15 के संबंध में आक्षेप प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार नही किया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी ख0 नं0 919 रकवा 8 एयर वांके ग्राम महलोनी तहसील बयाना की खातेदारी का रकवा है। जिसका गत ख0 नं0 576 रकवा 10

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विस्वा है। गत के मुकावले हाल रकवा पूरा है। अपीलान्ट का कथन है कि मौके पर राजस्व रिकार्ड में रकवा सही है परन्तु नक्शे में नाप करने से 8 एयर रकवा पूरा नही बैठता है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से साबिक हाल मिलान रिपोर्ट एवं मौका रिपोर्ट ली है। मुताविक रिपोर्ट साबिक हाल मिलान से हाल रकवे में कोई अन्तर नही होने नक्शे में दुरूस्ती नही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट लेकर ही निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के अनियमितता नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही हैं अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 576 रकवा 10 विस्वा जिसका हाल ख0 नं0 919 रकवा 08 एयर वॉके ग्राम महलौनी तहसील बयाना में है जिसकी पैमाइश दक्षिण 8 गट्ठा, उत्तर 6 गट्ठा, पूर्व 28 गट्ठा एवं पश्चिम 27 गट्ठा है। परन्तु बन्दोवस्त ने नाप व पैमाइश को कम करते हुऐ दक्षिण दिशा की सीमा 5 गट्ठा पश्चिम की 23 गट्ठा पूर्व की 24 गठ्ठा गलत रूप से दर्शाते हुऐ उक्त खसरा नं0 का क्षेत्रफल कम दर्शाया है। उक्त रकवा गत के मुकाबले हाल जमाबन्दी में 8 एयर सही दर्ज किया है परन्तु नक्शे में नाप करने से रकवा पूरा नही होता है, जो दुरूस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 19.05.15 के अनुसार साबिक हाल नक्शे की रकवा बरारी करने पर साबिक व हाल रकवे में कोई अन्तर नही बताया है। तहसीलदार ने मौका व साबिक हाल मिलान कर ही रिपोर्ट तैयार की है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार नक्शे में तरमीम किया जाना संभव नही है। उसके आस पास के खसरा नम्बरान का रकवा सही बैठता है। इसलिये नक्शे में तरमीम किया जाना उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.11.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official